

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली (टोंक)

फैसल संख्या - 128/2021

निर्णय दिनांक :- 28/2/22

उनवानी प्रार्थना पत्र -

महावीर पुत्र जुवारा जाति बैरवा निवासी सरसडी तहसील देवली जिला टोंक राज0

-प्रार्थी पक्ष

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

-अप्रार्थी पक्ष


प्रार्थना पत्र पत्थरगढी बाबत अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 86 खसरा नम्बर 368/192 रकबा 1.22 है0 वाके ग्राम भीवडावास तहसील देवली जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाशत की आराजी भूमि है। है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है व पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नही है।

अतः जमाबंदी संवत् 2075-78 में अंकित आराजी खाता संख्या 86 खसरा नम्बर 368/192 रकबा 1.22 है0 वाके ग्राम भीवडावास की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमीशनर बनाया जाता है और मौका कमीशनर फीस 1000/- रू0 निर्धारित की जाकर एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कौस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुल न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।


उपखण्ड अधिकारी
देवली